विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009
Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / रा.श. / 2026 / 10 रायपुर, दिनांक 08 APR 2026

प्रति,

1. श्री दिनेश कुमार देवांगन,
   पुष्प ब्रायलर हाउस, शहीद भगत सिंह चौक,
   जलगृह मार्ग टिकरापारा, जिला रायपुर (छ.ग.) 492001

2. कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पश्चिम),
   छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्रकरण क्रमांक / 07 / रायपुर / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर) द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (नगर) वृत्त–एक, छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)
सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

विषयः– विद्युत मीटर बी.पी.क्रमांक 1000138263 पर माह अप्रैल 2024 में अत्यधिक विद्युत बिल के संबंध में ।

प्रकरण क्रमांक / 07 / रायपुर / 2026

श्री दिनेश कुमार देवांगन, ...आवेदक
पुष्प ब्रायलर हाउस, शहीद भगत सिंह चौक,
जलगृह मार्ग टिकरापारा, जिला रायपुर (छ.ग.) 492001
मो.नं. 81037–93838

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पश्चिम), ...उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 08 / 04 / 2026 को घोषित)

1. आवेदक श्री दिनेश कुमार देवांगन द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 11.03.2026 यह है कि –

(i) महोदय, यह कि मेरे घर में लगी विद्युत मीटर क्रमांक बी.पी. 1000138263 में माह अप्रैल 2024 में अत्यधिक बिल 10390 / – रूपये प्रेषित किया गया तथा विद्युत खपत 1421 यूनिट दिखाया गया । जिसके विरोध में मैने दिनांक 03.06.2024 को कार्यपालन अभियंता टिकरापारा, रावणभाटा जोन रायपुर छत्तीसगढ़ के समक्ष आवेदन कर, मीटर कि नम्बरिंग जॉच हेतु निवेदन किया ।

(ii) महोदय, कृपया दिनांक 03.06.2024 के आवेदन की पुनवृत्ति न हो, इसलिए यहॉ नहीं लिख रहा हूँ । कृपया दिनांक 03.06.2024 के आवेदन को यहॉ शामिल कर पढने की कृपा करें ।

(iii) महोदय, विद्युत कंपनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर मैने दिनांक 14.05.2025 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में शिकायत कि ।

(iv) महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में की गई शिकायत की पुनवृत्ति न हो, इस कारण यहॉ उल्लेख नहीं कर रहा हूँ । कृपया छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में की गई शिकायत को यहॉ शामिल करने का कष्ट करेंगे ।

(v) महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के पत्र दिनांक 14.05.2025 पर कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कार्यालय मुख्य अभियंता रायपुर शहर क्षेत्र के द्वारा पत्र क्रमांक 10–01/शिकायत/बी–5288/4887 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा कार्यवाही कि जानकारी प्रदान की गई जो कि मुझे 14.02.2026 या उसके बाद प्राप्त हुई ।

(vi) महोदय, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यवाही से मैं संतुष्ट नहीं हूँ ।

(vii) महोदय, मुझे यह जानकारी नहीं दी गई विद्युत मीटर क्रमांक बी.पी. 1000138263 में विगत कई वर्षो से जहॉ खपत यूनिट 100 यूनिट से कम एवं विद्युत बिल 200–300 रूपये आता था । उक्त मीटर में माह अप्रैल 2024 का विद्युत खपत 1421 यूनिट और विद्युत बिल 10390/– रूपये कैसे आया ।

(viii) महोदय, उसके पश्चात् उक्त मीटर का विद्युत बिल पुनः माह मई 2024 के बाद के महीनों में खपत यूनिट 100 से कम और विद्युत बिल 200–300 रूपये ही था ।

(ix) महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार यदि विद्युत बिल में किसी प्रकार का विवाद होता है तो 06 माह के औसत बिल के आधार पर बिल का निर्धारण किया जाता है लेकिन मेरे प्रकरण में उक्त नियम का पालन नहीं किया गया ।

अनुतोष :– छत्तींसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में की गई शिकायत दिनांक 14.05.2025 में, मांग की गई अनुतोष प्रदाय करने की आसीम कृपा करेंगे ।

2. यह कि अनावेदक प्रतिनिधि सहायक अभियंता टिकरापारा जोन, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 696 दिनांक 19.03.2026 को सूचित किया है कि :–

(i) बिन्दु क्र. 01 से 06 तक कथन सही परंतु कोई टिप्पणी योग्य नहीं है ।

(ii) बिन्दु क्र. 07 से 09 तक का विवरण बिलिंग विद्युत खपत (की रीडिंग) के आधार पर की गई अतः औसत के आधार पर बिल नहीं किया गया । माह जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक का स्पॉट बिलिंग के दौरान ली गई मीटर की फोटो संलग्न है ।

(iii) अनुतोष हेतु टिप्पणी – उक्त के संबंध में विवरण बी.पी.नं. 1000138263 से संबंधित माह अप्रैल 2024 में विद्युत खपत 1421 यूनिट का ही बिलिंग किया गया । साथ ही मीटर की जॉच उपभोक्ता के मांग पर जॉच शुल्क भुगतान के पश्चात्

उपभोक्ता के समक्ष केन्द्रीय जॉच प्रयोगशाला भिलाई द्वारा किया गया जिसमें मीटर पास (अर्थात सही) आया ।

स्पष्ट है कि प्रतिमाह ली गई रीडिंग (विद्युत खपत) की आधार पर बिलिंग की गई अतः आवेदक द्वारा उल्लेखित अनुतोष राशि के मांग निरर्थक है ।

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :– दिनांक 24.03.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसाार है :–

3. यह कि शहीद भगत सिंह चौक, जल गृह मार्ग टिकरापारा, रायपुर स्थित आवेदक के परिसर में ताम विलास देवांगन के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 300 वाट भार का स्थायी विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1000138263 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदाय किया गया है । आवेदक के अनुसार माह अप्रेल 2024 में उत्तरवादी द्वारा उसे 1421 यूनिट का अत्यधिक खपत का एवं तद्नुसार अत्यधिक राशि रू. 10390.00 का देयक प्रेषित कर दिया गया जबकि इसके पूर्व मीटर में 100 यूनिट से भी कम खपत प्रतिमाह दर्ज होती रही थी । आवेदक के अनुसार इस अवधि में उसके परिसर में किसी प्रकार का धार्मिक या सामाजिक आयोजन भी नहीं हुआ जिसके कारण एक माह में ही उसके मीटर में इतनी अधिक खपत दर्ज होती । अत्यधिक राशि के इस देयक एवं मीटर की कार्यप्रणाली की जांच किए जाने के निवेदन के साथ आवेदक द्वारा दिनांक 03.06.2024 को उत्तरवादी को पत्र प्रेषित किया गया लेकिन उत्तरवादी द्वारा आवेदक की समस्या का निराकरण नहीं किया गया । तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपनी समस्या के संबंध में पत्र दिनांक 14.05.2024 के द्वारा माननीय छ.रा. विद्युत नियामक आयोग को अवगत कराया गया । इसके प्रत्युतर में मुख्य अभियंता रायपुर शहरी क्षेत्र द्वारा पत्र दिनांक 03.02.2026 के माध्यक से आवेदक को सूचित किया गया कि जांच के दौरान उनके परिसर में स्थापित मीटर क्रमांक OOS1019553 की कार्य प्रणाली सही पायी गयी, अतः उन्हें प्रेषित किया गया माह अप्रेल 2024 का देयक सही एवं उनके द्वारा भुगतान योग्य है ।

4. यह कि माह अप्रेल 2024 का अत्यधिक राशि का देयक प्रेषित किए जाने एवं जांच के दौरान मीटर की कार्य प्रणाली को सही ठहराए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर, माह अप्रेल 2024 से पूर्व की अवधि में उसके मीटर में दर्ज 06 माह की खपत के औसत अनुसार देयक संशोधित किया जाकर पुनरीक्षित राशि का देयक प्रदान किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

के निवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

5. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 697 दिनांक 19.03.2026 के माध्यम से प्रेषित अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदक के परिसर स्थित मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार ही प्रतिमाह बिलिंग की जाती रही है । आवेदक के मीटर में माह अप्रेल 2024 में दर्ज वास्तविक खपत 1421 यूनिट का देयक आवेदक को प्रेषित किया गया था जो कि सही एवं नियमानुसार था । आवेदक द्वारा मीटर की जांच का आवेदन प्रस्तुत किये जाने भिलाई स्थित केंद्रीय मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में मीटर की जांच करवाई गयी जिसकी रिपोर्ट में मीटर की कार्यप्रणाली को सही ठहराया गया । इस पर प्रकार आवेदक को प्रेषित माह अप्रेल 2024 का देयक सही एवं आवेदक द्वारा भुगतान योग्य है ।

6. यह कि प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

अ. क्या उत्तरवादी द्वारा माह अप्रेल 2024 के पूर्व आवेदक को उसके मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार देयक प्रेषित किया जाता रहा है । आवेदक के मीटर में माह अप्रेल 2024 में दर्ज खपत कहीं एकत्रित खपत तो नहीं है ।

ब. क्या आवेदक द्वारा मीटर की कार्य प्रणाली पर संदेह करते हुए मीटर की जांच का निवेदन किए जाने पर उत्तरवादी द्वारा की गयी कार्यवाही नियमानुसार है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

7. यह कि दिनांक 24.03.2026 को फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित आवेदक द्वारा कथन किया गया कि माह अप्रेल 2024 के पूर्व उसके परिसर स्थित मीटर में 100 यूनिट से भी कम खपत प्रतिमाह दर्ज होती रही थी एवं 200–300 रू. राशि का विद्युत देयक प्रतिमाह प्राप्त होता रहा था । माह अप्रेल में उत्तरवादी द्वारा प्रेषित 1421 यूनिट खपत का अत्यधिक राशि का देयक किसी भी प्रकार से उसके द्वारा किए जा रहे विद्युत के उपयोग से मेल नहीं खाता है अतः स्वीकार्य नहीं है । आवेदक द्वारा बताया गया कि इस अवधि में उसके द्वारा अपने परिसर में किसी प्रकार का ऐसा आयोजन भी नहीं किया गया जिससे विद्युत की खपत सामान्य से 20 गुना तक बढ़ जाए । यद्यपि गर्मी के मौसम के कारण माह अप्रेल में खपत सामान्य से दो तीन गुना तक बढ़ सकती है लेकिन खपत का एकदम से 20 गुना बढ़कर आना संभव नहीं है । संभवतः मीटर की कार्य प्रणाली में

किसी खराबी के चलते इतनी अधिक खपत उसके मीटर में दर्ज हुई है जिसकी जांच करते हुए उसके माह अप्रेल 2024 के देयक में संशोधन किया जाना उचित होगा ।

8. यह कि फोरम के समक्ष उपस्थित उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा अत्यधिक राशि का देयक प्राप्त होने की शिकायत किए जाने के बाद माह अप्रेल 2024 के पूर्व के माहों में आवेदक के परिसर स्थित मीटर में दर्ज खपत की मीटर रीडर द्वारा खींची गयी फोटो की जांच की गयी जिसमें आवेदक को उसके मीटर में प्रतिमाह दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार ही देयक प्रेषित किया जाना पाया गया । इससे यह भी प्रमाणित होता है कि आवेदक के मीटर में माह अप्रेल 2024 में दर्ज खपत, पूर्व अवधि की एकत्रित खपत न होकर उसी माह आवेदक द्वारा की गयी वास्तविक खपत थी । उत्तरवादी द्वारा फोरम के समक्ष, माह जनवरी 2024 से माह जुलाई 2024 तक की अवधि में मीटर रीडर द्वारा मीटर में दर्ज खपत की खींची गयी फोटो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी ।

9. यह कि उत्तरवादी द्वारा फोरम के समक्ष यह बताया गया कि आवेदक द्वारा मीटर की कार्य प्रणाली पर संदेह व्यक्त करते हुए उसकी जांच किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक के मीटर की जांच के लिए उसे भिलाई स्थित केंद्रीय मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया । प्रयोगशाला द्वारा मीटर की जांच पश्चात प्रेषित रिपोर्ट में मीटर की कार्यप्रणाली को सही (PASS) बताया गया । केंद्रीय मीटर परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा आवेदक के मीटर को सही बताए जाने के बाद आवेदक के माह अप्रेल 2024 के देयक की खपत एवं देयक राशि को सही माना जाना उचित एवं नियमानुसार है । ऐसी स्थिति में आवेदक के माह अप्रेल 2024 के देयक में संशोधन की कोई संभावना शेष नहीं है ।

10. यह कि फोरम के समक्ष आवेदक द्वारा कथन किया गया कि विद्युत विभाग के नियमों के अनुसार किसी माह का देयक विवादित होने की स्थिति में संबंधित माह की पूर्व अवधि में दर्ज खपत के औसत के अनुसार देयक में सुधार किये जाने का प्रावधान है अतः उसके माह अप्रेल 2024 के विवादित देयक में, पूर्व अवधि में उसके द्वारा की गयी खपत के आधार पर संशोधन किया जाना न्यायसंगत होगा ।

अवगत हो कि विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 8.22 के अंश यथा "In case of faulty meter billing for a maximum period of six months or from the date of last testing/inspection, or the month from which consumption has reduced considerably whichever is less be done,

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

on the basis of the test result." के अनुसार जांच के दौरान मीटर के खराब घोषित होने पर पूर्व के अधिकतम छः माहों के देयक में संशोधन किया जाना है ।

इस संबंध में फोरम द्वारा आवेदक को बताया गया कि मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में जांच पश्चात मीटर खराब घोषित होने की स्थिति में मीटर में दर्ज खपत को सही न मानते हुए खपत के आकलन के लिए पूर्व अवधि की खपत का उपयोग किया जाना सप्लाई कोड की कंडिका 9.16 के प्रावधानों में है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में केंद्रीय मीटर परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जांच पश्चात दी गयी रिपोर्ट में आवेदक के मीटर के सही (PASS) घोषित होने के बाद मीटर की कार्यप्रणाली के सही होने के संबंध में कोई विवाद शेष नहीं है । मीटर की कार्य प्रणाली के सही प्रमाणित होने की स्थिति में उसमें दर्ज खपत को सही मानते हुए उत्तरवादी द्वारा बिलिंग किया जाना सही एवं नियमानुसार है ।

11. यह कि आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष यह कथन किया गया कि उत्तरवादी द्वारा यह तो बताया जा रहा है कि उसके परिसर में स्थापित मीटर की कार्यप्रणाली सही है लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि बिना किसी अतिरिक्त भार का उपयोग किए उसके मीटर में एक माह की अवधि में 1421 यूनिट की खपत कैसे दर्ज हुई । फोरम द्वारा इस संबंध में आवेदक को बताया गया कि किसी भी उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर में दर्ज होने वाली खपत किस कारण से दर्ज हुई है यह तय करना उत्तरवादी के लिए संभव नहीं है । अपने परिसर में किए जाने वाले विद्युत के उपयोग के संबंध में मात्र उपभोक्ता ही सही जानकारी रख सकता है । यद्यपि उत्तरवादी, किसी उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर के परीक्षण पश्चात उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में अंतिम निष्कर्ष देने में समक्ष है । प्रस्तुत प्रकरण में उत्तरवादी द्वारा आवेदक के मीटर की जांच पश्चात उसकी कार्य प्रणाली के सही होने का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है ।

12. यह कि आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष यह जानकारी दी गयी कि उसके परिसर मे प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन के अतिरिक्त 03 अन्य कनेक्शन विद्यमान हैं । फोरम द्वारा उत्तरवादी को निर्देशित किया गया कि आवेदक के परिसर की जांच करते हुए यह सुनिश्चित करे कि आवेदक के परिसर स्थित अन्य कनेक्शनों के साथ आवेदक का प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन आंतरिक तौर पर जुड़ा हुआ तो नहीं है ताकि आवेदक के कनेक्शन में माह अप्रेल 2024 में किसी अन्य विद्युत मीटर का भार के जुड़े हुए होने एवं तद्नुसार अत्यधिक खपत दर्ज होने की संभावना का पता लगाया जा सके ।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

फोरम के निर्देशानुसार दिनांक 06.04.2026 को उत्तरवादी द्वारा आवेदक के परिसर की जांच की गयी जिसमें प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1000138263 का जिसे माह नवंबर 2024 में बकाया राशि होने के कारण विच्छेदित कर दिया गया था, आवेदक के परिसर स्थित अन्य कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1002669661 से जोड़कर उपयोग किया जाना पाया गया । इस बात की संभावना है कि आवेदक के परिसर में स्थित सभी विद्युत कनेक्शन आपस में आंतरिक तौर पर जुड़े हुए हैं । ऐसी स्थिति में इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि माह अप्रेल 2024 में प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन के मीटर में किसी अन्य कनेक्शन का भार जोड़ दिया गया हो और मीटर द्वारा किसी अन्य विद्युत कनेक्शन में उपयोग की गयी खपत को भी दर्ज कर लिया गया हो ।

13. यह कि आवेदक द्वारा अपने परिसर में स्थापित मीटर की कार्य प्रणाली पर संदेह किए जाने पर उत्तरवादी द्वारा सप्लाई कोड की कंडिका 8.21 एवं 8.22 के अनुसार की गयी, केंद्रीय मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में मीटर की जांच की कार्यवाही सही एवं नियमानुसार है । केंद्रीय मीटर परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जांच पश्चात मीटर को सही (PASS) घोषित किए जाने के बाद मीटर की कार्य प्रणाली एवं तद्नुसार माह अप्रेल 2024 के देयक के सही होने में फोरम को कोई संदेह नहीं है ।

14. यह कि फोरम, माह अप्रेल 2024 के देयक को, पूर्व अवधि की खपत के अनुसार संशोधित किए जाने की आवेदक की मांग को खारिज करता है ।

15. आदेश पारित ।

16. प्रकरण निराकृत ।

17. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

हमारे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

(निमिष परमार)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (शहर)

निर्णय घोषित किया गया

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (शहर)